

पत्र संख्या : 7ब/4702 योज०सं०-02/2012 - 109

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका,  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 13-9-12

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-33-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए. आई. बी. पी. केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200101330545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	50-लघु सिंचाई विभाग/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 33-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए. आई. बी. पी.केन्द्रांश)	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण 50P470200101330545	103.39
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ तीन लाख उन्चालीस हजार मात्र ।				

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 10029.00 लाख (₹ एक सौ करोड़ उन्नतीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।



(ऑंकार नाथ)  
सहायक अभियंता



(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 109 राँची, दिनांक :- 13-9-12  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/धनबाद/गोड्डा/चतरा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 109 राँची, दिनांक :- 13-9-12  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,  
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल,  
उपशीर्ष-33-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश)  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200101330545  
बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 10029.00 लाख।

(लाख रु. में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति			
								पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Phase - I														
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, धनबाद	धनबाद	दुण्डी	1	बड़की जोरिया में श्रु. चेकडैम निर्माण	13.02.10 दिनांक 16/09-10 में की	146.391	86.556	38.000	-16.000	22.000			
			वाघमाया	2	राजगंज जोरिया में श्रु. चेकडैम निर्माण		124.300	87.870	0.000					
			गोविन्दपुर	3	मुर्गाबनी जोरिया में श्रु. चेकडैम निर्माण		124.860	56.417	0.000					
			तोपचांची	4	बांसपहाड़ जोरिया में श्रु. चेकडैम निर्माण		124.590	78.108	0.000			14.700	14.700	
			बलियापुर	5	शालापुर जोरिया में श्रु. चेकडैम निर्माण		111.500	65.100	0.000					
			निरसा	6	बराजोड़ जोरिया में श्रु. चेकडैम निर्माण		132.493	49.421	0.000					
योग														
							764.134	423.472	38.000	-1.300	36.700			
Phase - I का योग														
							1138.445	778.122	38.000	18.390	56.390			
Phase - III														
3	लघु सिंचाई प्रमंडल चतरा	चतरा	हंटरगंज	1	धरौं नदी पर श्रु.चेक.	23/03.12.10	221.268	108.255	0.000					
			सिमरिया	2	सिमरात्री नाला पर श्रु.चेकडैम		115.980	30.540	0.000		85.000	85.000		
			टंडवा	3	वुन्दा नाला पर श्रु.चेकडैम		168.440	97.526	0.000					
			टंडवा	4	सदावह नाला पर श्रु.चेकडैम		167.550	93.679	0.000					
							673.238	330.000	0.000	85.000	85.000			
							1811.683	1108.122	38.000	103.390	141.390			
अतिरिक्त आवंटित राशि -- ₹ एक करोड़ तीन लाख उन्चालीस हजार मात्र।														

(ऑंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव